(24)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–रीवा

निगरानी-3515/2018/रीवा/भू. 25

गोविन्द नारायण शुक्ला पुत्र श्री तारा हरिहर
निवासी – पटहटकला तहसील त्यौथर जिला – रीवा (म.प्र)
.... आवेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 7.6.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15-6-18 नियत।
रीडर ऑफ कोर्ट 7-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

अशोक सिंह पुत्र श्री द्वारिका सिंह
निवासी – पटहटकला तहसील त्यौथर जिला – रीवा म.प्र.
...... अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/ अ6अ/स्व.निग. में पारित आदेश दिनांक 28.05.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

07/06/18

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, तहसीलदार त्यौथर वृत गढी जिला रीवा के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 67/अ–19/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2002 एवं नामान्तरण प्रकरण क्रमांक 15/अ6अ/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2015 ग्राम पटहटकला ज0न0 309 पटवारी हल्का कूडी 45 तहसील त्यौथर जिला रीवा के भूमि खसरा क्रमांक 170 रकवा 0.324 है0 जो शासकीय अभिलेख में म.प्र. शासन आम रास्ता दर्ज है का व्यवस्थापन आवेदक के नाम म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिये दखल रहित भूमि का भूमि स्वामी अधिकारो का प्रदाय किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के तहत् किया गया। उक्त प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिये जाने एवं आवेदक का विलोपित कर म.प्र. शासन दर्ज किये जाने बावत् अभ्यावेदन अनावेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया।

2 यहकि, अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में यह आधार लिया गया ग्राम पटहटाकला ज0न0 309 पटवारी हल्का नं. कूडी 45 तहसील त्यौथर जिला रीवा के अन्तर्गत स्थित है। और ग्राम के सार्वजनिक रास्ता के उपयोग में है। तथा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पटहटकला का एक मात्र आम रास्ता है जिसके अंश/भाग 0.040 है0 पर अवैध पट्टा आवेदक को जरिये व्यवस्थापन 9.08.2001 को चोरी छिपे असत्य तथ्यों के आधार पर प्रदान किया

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3515/2018/ रीवा/भू.रा.

गोविन्द विरूद्ध अशोक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 30/अ-6-अ/स्वमेव निगरानी/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 28-05-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	